राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1582 व 1583/2015..... जिला : उदयपुर

मैसर्स साउथ वेस्ट पीनेकल एक्सप्लारेशन प्रा.लि.,उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत–डी, उदयपुर एवं अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.10.2015	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री एम.एल.नेहरा,सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये दोनों अपीले मय स्थगन प्रार्थना पत्र अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 02.09.2015, जो कि राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे प्रवेश कर अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 12(4)(5) एवं 34 ए सपठित प्रवेश कर नियम 10 के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। सहायक आयुक्त, वृत–डी, उदयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.06.2015, जो प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12(4)(5) एवं 34 ए सपठित प्रवेश कर नियम 10 के अन्तर्गत पारित किये गये वर्ष 2013–14 व 2014–15 के आदेशों में रू 28,78,067/–व रू.28,38,574/–की मांग सृजित की है। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त राशि के स्थगन हेतु प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी ने रू 28,78,067/–व रू. 28,38,574/– को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना पत्रों का समर्थन करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश प्रथम दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के संबंध में किसी प्रकार के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है जो अस्पष्ट आदेश की श्रेणी में आता है । गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य के बाहर से 'रिंग मशींनें' आयात की गई है तथा रिंग मशीन Earth Moving Mining Machinary की श्रेणी में नहीं आती है यह Survey and Testing Equipment हैं, अतः इस पर प्रवेश कर देय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में, प्रथम–दृष्ट्या प्रकरण में वसूली पर रोक लगाने के संबंध में	

सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रंकट किया गया । अतः वसूली योग्य मांग राशि कमशः रू. 28,78,067/–व रू. 28,38,574/–पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए कथन किया गया कि माननीय कर बोर्ड को "प्रवेश कर अधिनियम," की धारा 24(4)-Notwithstanding that an appeal has been preferred under sub-section (1), the payment of tax or penalty of any other amount, payable in accordance with any order passed by the appellate authority under section 23 shall not, pending disposal of the appeal, be stayed by the Tax Board". के अन्तर्गत रोक लगाने की अधिकारिता नहीं है,इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी के अन्तर्गत स्थगन पत्र प्रथम दृष्टया सुनवाई हेतु ग्राह्य नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः उन्होंने प्रकरण में सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट करते हुए प्रस्तुत किये गये रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की ।

उभय पक्षीय बहस सुनी गयी एवं उपरोक्त विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उद्धृत"प्रवेश कर अधिनियम," की धारा 24(4) के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। अपीलीय अधिकारी स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में दिय गये निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

"व्यवसायी का नियमित व्यवसाय चल रहा है। अ.प्र. ने सुविधा सन्तुलन की दृष्टि से व्यवसाई को किसी भी प्रकार की कठिनाई सिद्ध नहीं की है। व्यवसायी द्वारा मांग राशि जमा करवाने पर किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं है, क्योंकि अधिनियम में अतिरिक्त जमा वापिस पर ब्याज देने का प्रावधान है।"

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उद्धृत प्रवेश कर अधिनियम की धारा के परिप्रेक्ष्य में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्ष से सहमति रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति/तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(एम.एल.नेहरा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य